प्रपत्र "अ"

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1129 द्वारा श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

क्र.	कार्य का नाम	टेंडर दिनांक	एंजेंसी का नाम	कार्य की लागत (लाख में)	अनुबंध क्रमांक एवं दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	निर्धारित समय–सीमा कार्य पूर्ण न होने पर अनुबंधक पर की गयी कार्यवाही का विवरण।	रिमार्क
1	मंदसौर जिले के अंतर्गत मंदसौर से संजीत मार्ग रेल्वे सपमार क्रमांक 150 में रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	30.07.2018	जुगल किशोर रामकिशन अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर दिशा गुजरात ।	2634.48 लाख	36/2018–19 दिनांक 21.12.2018	24 माह वर्षाकाल सहित (20.12.2020)	22.12.2018	अनुबंधक द्वारा समय–सीमा में कार्य पूर्ण न करने पर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग उज्जैन द्वारा दिनांक 08.08.2022 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया । सक्षम प्राधिकारी अधीक्षणयंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण मण्डल भोपाल द्वारा दिनांक 06.10.2022 को अनुबंध के निरस्तीकरण को स्थगित करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक की अनुमति प्रदान की गई । अनुबंधक का रजिस्ट्रेशन 02 वर्ष के लिए काली सूची में प्रति स्थापित किया गया।	प्रश्न सं. [क्र. 1129] –

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

C:\Users\ravi\Desktop\E-Mail- 15-12-2022\ENC\1129

[22/12/2022]

परिशिष्ट '1'

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग मंत्रालय
भोपाल

भोपाल दिनांक 26/02/2018

क्रमांक 858 2018/19/यो/परिपत्र

प्रति,

1 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन,
भोपाल।

2 परियोजना संचालक,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

विषय :— अनुबंध को पुनर्जीवित (Revoke) किये जाने के संबंध में ।

वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल की अपेण्डिक्स 2.10 के अंतर्गत परसेंटेज रेट निविदा प्रपत्र प्रावधानित है। इस निविदा प्रपत्र की कण्डिका 27.3 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्रियों द्वारा ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नही किये जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्त किये जाने का प्रावधान है। इस कण्डिका के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही किये जाने पर अनुबंध की कण्डिका 12 के प्रावधानों के तहत ठेकेदारों द्वारा डिस्प्यूट रिसोल्युशन मेकेनिज्म का सहारा लेते हुये अधीक्षण यंत्री के यहां अपील प्रस्तुत की जाती है। कई प्रकरणों में ठेकेदार द्वारा की गई अपील के परिपेक्ष में गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जाकर कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुबंध समाप्त किये जाने की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर अनुबंध पुनर्जीवित किया जाता है। कुछ प्रकरणों में अधीक्षण यंत्री द्वारा यह पारितोष न देते हुये ठेकेदार की अपील अमान्य की जाती है। ऐसे प्रकरणों में ठेकेदार द्वितीय अपील मुख्य अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं । मुख्य अभियंता भी ठेकेदार की अपील पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुबंध को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई कर सकते हैं।

यह पाया गया है कि कतिपय प्रकरणों मे ठेकेदार का अनुबंध सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार पुनर्जीवित किये जाने के पश्चात भी ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदार का अनुबंध पुनः समाप्त की जाने की कार्यवाही की जाती है। ठेकेदारों द्वारा पुनः इस आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने पर अनुबंध को पुनर्जीवित करने की कार्यवाही उसी स्तर से न की जाये जिस स्तर से पूर्व में अनुबंध पुनर्जीवित किया गया था। स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई अनुबंध पूर्व में अधीक्षण यंत्री के स्तर से पुनर्जीवित किया गया है तब कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुबंध को पुनः समाप्त करने की स्थिति में अधीक्षण यंत्री ठेकेदार

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

की अपील परं इसे पुनः पुनर्जीवित नहीं कर सकेंगे एवं यह कार्यवाही द्वितीय अपील में गुण-दोष के आधार पर मुख्य अभियंता के स्तर पर की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि प्रथम बार अनुबंध को पुनर्जीवित करने की कार्यवाही मुख्य अभियंता के स्तर से की गई है तब द्वितीय बार पुनर्जीवित किये जाने की कार्यवाही मुख्य अभियंता स्तर से नहीं की जा सकेगी तथा ठेकेदार मुख्य अभियंता के आदेश के विरूद्ध अनुबंध के प्रावधानों के तहत आर्बीट्रेशन ट्रब्युनल में अपील प्रस्तुत कर सकेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 6/2/18
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 26/02/2018

पृ.क्रमांक 859 2018/19/यो/परिपत्र

प्रतिलिपि –

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
2. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
3. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, पीआईयू मध्यप्रदेश।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
5. समस्त संयुक्त परियोजना संचालक, लोनिवि पीआईयू।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री पी आईयू मध्यप्रदेश।

6/2/18
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय